

## परिशिष्ट—VII

अनुशासनात्मकमामलों के तथ्योंकोआयोग के समक्ष प्रस्तुतकियेजानेहेतुरिपोर्टकाप्रारूप

क्र.सं.	विषय वस्तु	संलग्नक संख्या / झण्डी
1.	अपचारीअधिकारीकानाम	
2.	सेवामेंस्थाईअथवानहीं	
3.	धारित पदः (अ) पदनाम (ब) वेतनश्रृंखला	
4.	जन्मतिथि	
5.	राजकीय सेवामेंसेवाभारग्रहणकरने की तिथि	
6.	सेवानिवृत्ति की दिनांक	
7.	मासिकपेंशन की स्वीकार्य / स्वीकृतराशि (सूचना केवलवसूलीअथवापेंशनरोकेजाने के मामलोंमेंवांछित)	
8.	(अ)नियुक्तिप्राधिकारी (ब) दंडाधिकारी (स)अपीलप्राधिकारी	
9.	विभागीय जाँचअथवानियमाधीनजाँच	
10.	जाँचअधिकारीकानाम एवंपदनाम	
11.	निम्नांकितमूलअभिलेख, विशेषतः संबंधितमामलमेंआयोगकोप्रेषितदस्तावेज	
(क)	मूलजाँच के मामलोंमेंनिम्नांकिदस्तावेज :	
	(i) अपचारीअधिकारी के विरुद्ध की गईप्रारम्भिकजाँचप्रतिवेदन, यदिकोईहो (ii) निलम्बनआदेश, यदिकोईहो (iii)) शिकायतीविवरणसहितआरोप पत्र (iv)) अपचारीअधिकारी द्वाराआरोप पत्र के संबंध मेंप्रस्तुतकियागया प्रत्युत्तर (v)) विभागीय जाँच के अभिलेख, यदिकोईहों (vi)) जाँचअधिकारी की रिपोर्ट (vii)) कारणबताओनोटिस (viii)) अपचारीअधिकारी द्वाराकारणबताओनोटिस के संबंध मेंप्रस्तुत कियागयाप्रत्युत्तर (ix) जाँचकार्यवाही के दौरानप्रस्तुतकियेगयेदस्तावेज (x) जाँचकार्यवाही के दौरानप्रतिरक्षाहेतुप्रस्तुतविवरण एवं अभियोजनसाक्ष्य संबंधीदस्तावेज (xi) जाँचसेसंबंधितअन्य दस्तावेज	
(ख)	अपील / परिशोधन / समीक्षा बिन्दु (क) मेंउल्लिखित के अतिरिक्तअन्य उल्लेखनीय दस्तावेज	
	(i) दण्डआदेश	
	(ii) अपचारीअधिकारीसेसंबंधितअपील / परिशोधन / समीक्षा, यदिकोईहो	
	(iii) राजस्थानसिविलसेवा (सी.सी.ए.) नियम के अन्तर्गत अपील / परिशोधन / समीक्षापरअंकितटिप्पणी	

## APPENDIX-VII

**Proforma prescribed for furnishing particulars of the disciplinary cases referred to the Commission for their advice**

S.No.	Content	Enclosure No./ Flag
1.	Name of the Delinquent Officer	
2.	Whether confirmed in the service	
3.	Post Held: (a) Designation (b) Scale of pay	
4.	Date of birth	
5.	Date of joining Govt. Service	
6.	Date when due to retire	
7.	Amount of monthly pension admissible/sanctioned (This information is required only in respect of cases of recovery from or withholding of pension)	
8.	(a) Appointing Authority (b) Punishing Authority (c) Appellate Authority	
9.	Whether the Departmental Enquiry, if required under the Rules has been held	
10.	Name and designation of the enquiry officer	
11.	Whether all the relevant documents, in original particularly the following are made available in the record sent to the Commission:	
(A)	In the case of original enquiries the following documents:  (a) Report of the preliminary enquiry if any, conducted against the delinquent officer (b) Suspension order, if any (c) Charge-sheet alongwith the statement of allegations (d) Reply of the delinquent officer to the charge sheet and statement of allegations. (e) Record of the departmental enquiry, if any (f) Report of the Enquiry Officer (g) Show cause notice (h) Reply of the delinquent officer to the show cause notice (i) Documents exhibited during the course of enquiry. (j) Statements of defence and prosecution witnesses recorded during the course of enquiry. (k) Any other documents relevant to the enquiry	
(B)	In case of appeal/revision/review In addition to the documents specified under (A), the following: (a) order of the punishing authority (b) Appeal/Revision/Review if any of the delinquent officer (c) Comments on the Appeal/Review/Revision as required under the Rajasthan Civil Services (C.C.A.) Rules.	

## परिणामस्थि -VIII

अनुशासनात्मक अपील के प्रकरणों में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विषय वस्तु	संलग्नक संख्या / झण्डी
1.	प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट	
2.	शिकायत	
3.	निलम्बन आदेश	
4.	निर्वाह भत्ता आदेश	
5.	आरोप पत्र	
6.	आरोप विवरण	
7.	आरोप पत्र का प्रत्युत्तर	
8.	नियुक्ति जाँच अधिकारी आदेश	
9.	नियुक्ति विभाग प्रतिनिधि आदेश	
10.	नियुक्ति बचाव समिति आदेश	
11.	प्रारम्भिक जाँच में अभिलेखित विवरण पत्र, यदि कोई हो	
12.	विभागीय जाँच में अभिलेखित विवरण पत्र	
13.	अपचारी पदधारी/अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लिखित विवरण पत्र	
14.	बचाव साक्ष्यों का विवरण	
15.	अपचारी पदधारी/अधिकारी को दिये गये अवसर	
16.	अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण	
17.	प्रतिरक्षा / बचाव अभिलेख	
18.	अपचारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रतिकूल प्रश्न	
19.	विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत लिखित विवरण पत्र, यदि कोई हो	
20.	अतिरिक्त कार्यभार हेतु दिये गये आदेश, यदि कोई हो	
21.	जाँच प्रतिवेदन	
22.	जाँच प्रतिवेदन में प्रत्येक कार्य भार हेतु उद्धरित अनुशासनात्मक प्राधिकारी की सहमति अथवा असहमति की टिप्पणी	
23.	संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस	
24.	कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन	
25.	अपचारी अधिकारी को जारी कारण बताओ नोटिस सहित जाँच प्रतिवेदन या असहमति की टिप्पणी की प्रति	
26.	अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिया गया दण्ड	
27.	अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील	
28.	अपचारी अधिकारी द्वारा उठाए गये बिन्दुओं पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणी	

## APPENDIX-VIII

### List of important documents required to be flagged in the disciplinary appeal cases

S.No.	Content	Enclosure No./Flag
1.	Preliminary Enquiry Report	
2.	Complaint	
3.	Suspension order	
4.	Order of subsistence allowance	
5.	Charge sheet	
6.	Statement of allegations	
7.	Reply to the charge sheet	
8.	Order appointing Enquiry Officer	
9.	Order appointing Departmental Representative	
10.	Order appointing Defence Council	
11.	Statements recorded in preliminary enquiry, if any	
12.	Statements recorded in Departmental enquiry	
13.	Written statement of delinquent official/officer	
14.	Statements of defence witnesses	
15.	Opportunity given to delinquent official/officer	
16.	Prosecution exhibits	
17.	Defence exhibits	
18.	Cross questions with delinquent officer	
19.	Written statements of Departmental Representative, if any	
20.	Additional charge given, if any	
21.	Enquiry Report	
22.	Agreement or disagreement note of disciplinary authority with respect to each charge mentioned in the Enquiry Report	
23.	Show cause notice under Art.311 (2) of the Constitution	
24.	Representation in reply to the show cause notice submitted by the delinquent officer	
25.	Copy of enquiry report or disagreement note supplied to the delinquent officer with the show cause notice or not	
26.	Punishment given by disciplinary authority.	
27.	Appeal preferred by delinquent officer.	
28.	Comments offered by disciplinary authority on the points raised by the delinquent officer.	

## चैक लिस्ट

क्र.सं.	विषय
1	प्राथमिक जांच रिपोर्ट, यदि कोई हो
2	प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर आरोपित द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो
3	निलम्बन आदेश और निर्वाह भत्ता आदेश, यदि कोई हो तो
4	ज्ञापन मय आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र
5	आरोपित पर ज्ञापन के तामिली की रसीद/समाचार पत्रों में साया नोटिस की सूचना इत्यादि।
6	ज्ञापन पर प्रस्तुत आरोपित का प्रारम्भिक अभिकथन, यदि कोई हो
7	जॉच अधिकारी नियुक्ति आदेश
8	यदि आरोपित द्वारा जांच कार्यवाही में भाग नहीं लिया गया तो एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश का
9	स्पष्ट अंकन।
10	जांच अधिकारी द्वारा संधारित आर्डर शीट जिससे स्पष्ट हो कि आरोपित को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान किया गया।
11	दौराने जांच उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य, जोकि स्वीकार/अस्वीकार (प्रदर्श) हो, मय सूची।
12	उक्त अभिलेखीय साक्ष्यों को जिन्हें अस्वीकार किया गया है, गवाहों द्वारा प्रदर्श कराये जाने का अभिलेख।
13	अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं बचाव पक्ष द्वारा बचाव अभिकथन, यदि प्रस्तुत किया गया हो तो जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की प्रति।
14	जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर आरोपित को बचाव में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अवसर की स्पष्ट सूचना, एवं यदि आरोपित पर तामिल न हुआ हो तो विभाग द्वारा किए गए प्रयास की रिपोर्ट।
15	जांच प्रतिवेदन से यदि शासन असहमत है, तो असहमति का विस्तृत विवरण।
16	जांच प्रतिवेदन पर आरोपित को उपलब्ध कराने की स्पष्ट सूचना एवं यदि आरोपित द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसकी प्रति।
17	प्रस्तावित दण्ड जिसमें कोई संदिग्धता ना हो।

## आपराधिक प्रकरण

क्र.सं.	विषय
1	प्रस्तुत एफ.आई.आर. एवं चालान की प्रति।
2	आरोपित के निलम्बन आदेश की प्रति, यदि कोई हो
3	अभियोजन स्वीकृति की प्रति।
4	माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम दण्डादेश की मूल प्रति।